खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर

एफए. प्रकरण संख्या : 0042/2017

संतोष कुमार नोमीनी मैसर्स गुजरात कॉपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड–05 व 06, रोशनजी की बड़ी गली के सामने, सेंट टेरेसा स्कूल रोड़, सेक्टर–12, उदयपुर 313002

––अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिए कमिश्नर खाद्य सुरक्षा, राजस्थान जयपुर, स्वास्थ्य भवन, डियर पार्क के पास, सी–स्कीम जयपुर
2. दिलीप सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जालौर
3. लक्ष्मण देवासी पुत्रश्री गंगाराम (विक्रेता) मैसर्स सरस्वती सेल्स एजेन्सी, एलएमबी. चौराहा, भीनमाल, जालौर
4. मैसर्स साविवित्रि सेल्स एजेन्सी, एलएमबी चौराहा, भीनमाल, जालौर
5. बिश्वजीत दत्त असिस्टेन्ट जनरल मैनेजर (क्यूए) (नोमीनी) मैसर्स भांसकांठा जिला कॉपरेटिव मिल्क प्रोडक्ट यूनियन लिमिटेड, बनास डेयरी, पीबी. नं. 20 पालनपुर 385001 (गुजरात)

––विपक्षीगण

उपस्थितः–

1. श्री मयंक गुप्ता अधिवक्ता अपीलार्थी
2. श्री वी.डी. गठाला, राजकीय अधिवक्ता विपक्षी सं.1

:: आदेश :: **दिनांक : 23.08.2017**

1. यह अपील न्याय निर्णायक अधिकारी, जालौर के आदेश दिनांक 30.06.2016 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

2. आलौच्य निर्णय के अनुच्छेद संख्या 07 में यह उल्लेखित किया गया है कि ''प्रकरण लोक अदालत में बैंच के समक्ष रखा जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।'' निर्णय किया गया।

3. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत ऐसे प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निर्णित नहीं किए जा सकते। इससे विद्वान राजकीय अधिवक्ता भी सहमत है।

4. अतः अपील स्वीकार की जाकर आलौच्य आदेश दिनांक 30.06.2016 प्रकरण संख्या 05/2015 में पारित किया गया निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण पुनः विधि अनुसार सुनवाई करने हेतु न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जालौर को प्रति–प्रेषित किया जाता है जो विधि अनुसार पुनः सुनवाई कर आदेश पारित करेंगे।

5. पक्षकारान न्याय निर्णायक अधिकारी के समक्ष दिनांक 19.09.2017 को उपस्थित रहे, उन्हें पुनः अलग से सुनवाई हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया जावे।

6. यदि कोई भी पक्षकार नियत तिथि को उपस्थित नहीं होता है तो न्याय निर्णायक अधिकारी विधि अनुसार आगे कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र है।

7. अपील इसप्रकार निस्तारित की जाती है।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर

आदेश आज दिनांक 23.08.2017 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(उमेश कुमार शर्मा)
पीठासीन अधिकारी
खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण
जयपुर